



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275617
CG-DL-E-20082026-275617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4405]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4405]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4585(अ) .— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192 (अ), दिनांक 03 दिसंबर, 2001 और तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एनएच-44) के किमी 163.400 से किमी 207.600 तक, किमी 248.165 से किमी 259.300 तक और किमी 207.600 से किमी 248.168 तक (बेंगलुरु – सेलम – मदुरै और नमक्कल बाईपास खंड) तक के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 08.05.2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1178 (अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के किमी 180.000 से किमी 248.625 तक थुम्बीपाड़ी से नमक्कल खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 62.567 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी 2] तथा 5.830 किलोमीटर

(0.583 किमी की लंबाई वाली [सारणी 4]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु या उससे अधिक की लागत वाले 5.475 कि.मी. लंबाई [सारणी 3] वाले बाईपासों के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य के सेलेम जिले में कोट्टागौंडमपट्टी (ओमालुर) गाँव में किमी 191+800 पर	62.567 किमी [10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के लंबाई और 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर) और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ में)	
तमिलनाडु राज्य में सेलेम जिले के कोट्टागौंडमपट्टी	मल्लूर बाईपास	215+900	218+050	2.15	>10 करोड़	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी 1 में
	पुदुचतिराम बायपास	234+600	236+100	1.50	>10 करोड़	

(ओमालुर) गांव में किमी 191+800 पर स्थित	चेलापनपट्टी बायपास	242+350	244+175	1.825	>10 करोड़	उल्लिखित आधार दरों का 150%
	कुल लंबाई			5.475		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके अवसंरचनाओं की लंबाई पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी 4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	सड़क की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचना की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में कोट्टागौंडमपट्टी (ओमालुर) गाँव में किमी 191+800 पर	0.583 [^]	5.83	चार या अधिक लेन के लिए, उपरोक्त सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	चेनेज (किमी)		संरचना का प्रकार (4 लेन)	लंबाई (किमी में)
	से	तक		
1	194.403	194.465	आरओबी	0.062
2	201.769	201.931	आरओबी	0.161
3	220.805	220.895	आरओबी	0.090
4	207.540	207.660	फ्लाईओवर	0.120
5	228.025	228.100	फ्लाईओवर	0.075
6	188.813	188.888	फ्लाईओवर	0.075
कुल				0.583

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और टोल प्लाज़ा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360/- रुपए (रुपए तीन सौ साठ मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी 5		
देय धनराशि	एक अनुमत यात्रा मार्ग की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चलाए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तदायी होगा।
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क, इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा-उल्लेखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 582.06 करोड़ रुपए है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. पीआरओजे-16017(41)/6/2026-पीआईयू सेलम/ई-269847]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAY'S
NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2026

S.O. 4585(E).— Whereas, by notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1192 (E), dated the 3rd December, 2001 and in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretches from Km 163.400 to 207.600, Km 248.165 to Km 259.300 and Km 207.600 to Km 248.168 (Bangalore – Salem – Madurai and Namakkal Bypass section of national highway No.7 Old (New NH-44) in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1178 (E) dated 08.05.2009, the Central Government, hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 62.567 kms [Table 2] and for equivalent structure length (having more than 60m) of 5.830 Km (having length of 0.583 Km [Table 4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 5.475 kms [Table 3] costing rupees 10 cr or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Thumbipadi to Namakkal section from Km 180.000 to Km 248.625 of new National Highway no.44 in the State of Tamil Nadu and authorise the Authority to collect toll fee either through its officials or through an agency, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Over Sized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely;

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length in km for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 191+800 at Kottagoundampatty (Omalur) Village of Salem District in the state of Tamil Nadu	62.567 kms [Excluding length of bypasses (costing ≥Rs. 10 cr.) and structures length(>60 m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to above, the following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table 3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable (Excluding length of structure > 60m length)		Rate at which fee is payable
				Length (In Km)	Cost (In crore)	
At Km 191+800 at Kottagoundampatty (Omalur) Village of Salem District in the state of Tamil Nadu	Mallur Bypass	215+900	218+050	2.15	> 10 Cr.	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Pudhuchathiram Bypass	234+600	236+100	1.50	> 10 Cr.	
	Chellapanpatti Bypass	242+350	244+175	1.825	> 10 Cr.	
	Total length			5.475		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table- 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 191+800 at Kottagoundampatty (Omalur) Village of Salem District in the state of Tamil Nadu	0.583 [^]	5.83	100% for four or more lane, of the base rate mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

Sl. No.	Chainage (Km)		Type of Structure (4 Lane)	Length (in km)
	From	To		
1	194.403	194.465	ROB	0.062
2	201.769	201.931	ROB	0.161

3	220.805	220.895	ROB	0.090
4	207.540	207.660	Flyover	0.120
5	228.025	228.100	Flyover	0.075
6	188.813	188.888	Flyover	0.075
Total				0.583

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.360./- (Rupees Three Hundred and Sixty Only) for the FY 2026-27 which is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the over loaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspapers in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project length is Rupees 582.06 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-16017(41)/6/2026-PIU Salem/ E-269847]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.